


एआई 20 मिनट में बताएगा मरीज को, टीबी पीड़ित है या नहीं



नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। टीबी की जांच अभी तक खरार के जरिए होती थी लेकिन अब जिला अस्पताल

जिला अस्पताल में एआई आधारित टीबी जांच सेवा शुरू

में नई एआई बेस्ड सुविधा शुरू हुई है। जिसमें मरीजों का एक्स-

टीबी लाइलाज नहीं, नियमित दवा-पोषण आहार जरूरी : आरती
मुरैना। विश्व क्षय दिवस के उपलक्ष्य में जिला विकित्सालय के ओपीडी सभागार में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर, जिप सीईओ कमलेश भार्गव ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने दो क्षय रोगियों को गोद लेकर फूड बास्केट दी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर ने कहा कि टीबी की बीमारी लाइलाज नहीं है। मरीज नियमित रूप से दवा के साथ पोषण युक्त आहार ले तो यह बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। इस मौके पर सीएमएचओ प्रवेश उपाध्याय, सिविल सर्जन डॉ. जीएस तोमर, आरएमओ डॉ. डीएस यादव, जिला क्षय अधिकारी डॉ. नरेंद्र उपाध्याय, डीपीसी बृजेश सिंह राजपूत, अवधेश शर्मा, जितेंद्र सिंह नरवरिया, संजय सिकरवार, शिवप्राण जादौन, सुरेंद्र सिंह, विवेक, यतेंद्र आदि मौजूद रहे।

रे कर 20 मिनट में पता चल सकेगा कि मरीज में टीबी के संभावित लक्षण तो नहीं। अगर जांच में टीबी के लक्षण नजर आते हैं तो उनके बलागम की जांच कर पुष्टि की जाएगी और तत्काल इलाज शुरू हो सकेगा।

एचपीवी वैक्सिन जरूर लगवाएं किशोरी: सीईओ
जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने इस मौके पर जिलेभर के अभिभावकों से अपील करते

टीबी रोगियों को बाटी पोषण आहार की बास्केट



सीएमएचओ डॉ. प्रवेश उपाध्याय ने इस मौके पर जिलेभर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से आह्वान किया कि वह भी अपने क्षेत्र के टीबी रोगियों को गोद लेकर पोषण युक्त आहार दें। जिससे क्षय रोगियों को दवा के साथ साथ बेहतर पोषण मिल सके। इस मौके पर 2 मरीजों को पोषण आहार से संबंधित फूड बास्केट बांटी गई।

हुए कहा कि इन दिनों जिलेभर में सर्वाइकल कैंसर रोधी वैक्सिन 14-15 साल की किशोरियों को लगाई जा रही है। यह वैक्सिन निजी अस्पताल में 11 हजार रूपए में उपलब्ध है, जबकि सरकार यह वैक्सिन जिलेभर के स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त लग रही है।
जिप अध्यक्ष ने कराई बीपी,



जनसुनवाई : जिप सीईओ ने 142 लोगों की सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। जनसुनवाई के अंतर्गत कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ के निर्देश पर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कुल 142 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने राजस्व, भूमि विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य, सामाजिक

न्याय, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण, सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों को सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को जन आकांक्षा पोर्टल पर अपलोड करने को निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, एसडीएम बीएस कुशवाहा, डिप्टी कलेक्टर भरत कुमार, श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, उमेश अवस्थी सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

दो दिवसीय सेमीनार का हुआ समापन

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। भारतीय वायु सेना द्वारा युवाओं में देशभक्ति की भावना जाग्रत करने एवं उन्हें वायु सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु 23 एवं 24 मार्च तक 02 दिवसीय जिला स्तरीय सेमीनार शासकीय आईटीआई मुरैना शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मुरैना एवं राज राजेश्वरी आईटीआई मुरैना में आयोजित की गई। जिसमें प्राचार्य एवं संचालकों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम के उपरांत कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ से वायु सेना के साजेंट राजीव खटाना एवं साजेंट रविन्द्र वनवे ने सेमिनार की जानकारी से अवगत कराया। कार्यक्रम में वायु सेना के साजेंट



राजीव खटाना एवं साजेंट रविन्द्र वनवे उपस्थित रहे। उन्होंने वायु सेना की स्थापना, उद्देश्य, कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। साजेंट राजीव खटाना ने अग्निवीर वायु बन्ने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी राम जादौन ने सभी का स्वागत करते हुए पब्लिसिटी ड्राइव आयोजित कराने में सहयोग प्रदान किया।

आकाश मिस्टर एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप विजेता बने

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। जिले के सबलगढ़ एवं टेंटरा थानों की पुलिस ने सोमवार को रेत एवं पत्थरों का अवैध रूप से परिवहन कर रहे तीन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया। तीनों

क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल 27-28 को
मुरैना। चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन सीडीसीएफ के मैदान मद्र क्रिकेट संगठन द्वारा अंडर-15 टैलेंट स्क्रीनिंग बालिकाओं के ओपन चयन ट्रायल 27-28 मार्च को रखाई गई है। चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव तस्लीम खान ने बताया कि ट्रायल में चंबल संभाग संभाग संभाग क्रिकेट संघ की बालिकाएं हिस्सा ले सकती हैं। जिनका जन्म 1 सितंबर से 31 अगस्त के बीच हुआ हो।

रेत व पत्थर का अवैध परिवहन करते 3 ट्रेक्टर-ट्रॉली पकड़े

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। जिले के सबलगढ़ एवं टेंटरा थानों की पुलिस ने सोमवार को रेत एवं पत्थरों का अवैध रूप से परिवहन कर रहे तीन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया। तीनों

वाहनों के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मद्र खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। सबलगढ़ पुलिस ने 23 मार्च



को सेवाराम का बाग के पास से पत्थरों से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। ड्राइवर मोहर सिंह पुत्र परिमाल जाटव नि. बेनीपुरा सबलगढ़ को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम ने कठपर गांव की नहर की पुलिया के पास से चंबल नदी की रेत से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। एक



अन्य कार्रवाई में टेंटरा थाना पुलिस ने सोसाइटी के पास से गुजर रहे रेत से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने इसके ड्राइवर

राजेश पुत्र वकील सिंह रावत नि. गढ़ी विजयपुर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मद्र खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।

गेंहू का समर्थन मूल्य 4 हजार प्रति क्विंटल घोषित हो : डंगस

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। किसानों की समस्याओं एवं गेंहू उपाजर्ज का समर्थन मूल्य 4 हजार रूपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांगों को लेकर किसान कांग्रेस की जिला इकाई की ओर से

किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

मंगलवार को ज्ञापन दिया गया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिलाध्यक्ष जितेंद्र डंगस के नेतृत्व में तहसीलदार को दिया गया। इस ज्ञापन में सोसायटी ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 28



मार्च को बढ़ाए जाने, अमेरिकी ट्रेड डील के अंतर्गत सोया ऑइल के टेक्स फ्री आयात पर रोक लगाए जाने, बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों

का सर्वे कराए जाकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा की राशि दिए जाने, किसानों के बकाया बिजली बिलों की वसूली पर रोक लगाए जाने और

राशि का भुगतान आसान किश्तों में किए जाने के आदेश जारी करने, घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांगों किसान कांग्रेस ने की है।
जापान सौंपने वालों में रिकू पचौरी, विक्रमराज मुदगल, इरशाद, इकबाल शाह, हरिराम पचौरिया, प्रमोद शर्मा हुसैनपुर, रामस्वरूप माहौर, गौरव चतुर्वेदी, जितेंद्र गुर्जर, राजेश राठौर, रमेश अर्गल, वकील जाटव, होतम परमार, बंगाली जाटव, होतम परमार, बंगाली जाटव, नितिन नारौलिया, त्रिलोकी कंषाना, आकाश खटीक, छोहू, लोकेन्द्र माहौर, सचिन माहौर, सौरव माहौर आदि शामिल थे।

5 हजार का ईनामी हत्यारोपी शिवा तोमर गिरफ्तार



नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बीते 6 महीने से फरार चल रहे हत्यारोपी शिवा तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा और जिंदा राउण्ड जब्त किए गए हैं।

जाणकारी के अनुसार स्टेशन रोड थाने में की हत्या की घटना को लेकर दर्ज अपराध क्रं. 73/25 में नामजद शिवा तोमर उर्फ शिवप्राण पुत्र कुलदीप तोमर नि. सिंसोदिया गली महावीरपुरा मुरैना विगत 6 महीने से फरार बना हुआ था। 23 मार्च को पुलिस ने शिवा तोमर को नंदपुरा रोड पर शिकारपुर फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर कट्टा और एक



एमएसपी पर गेंहू उपाजन गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ के निर्देश पर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपाजन हेतु गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण अधिकारी, कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता नियंत्रक ग्वालियर द्वारा दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने

सभी सहकारी समिति, प्रबंधक, ऑपरेटेयों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि एफएफयू मानक स्तर का गेंहू उपाजित करें एवं किसानों के लिए केन्द्र पर छाया, पानी, टॉयलेट, बैठक व्यवस्था सुनिश्चित रखें। इस अवसर पर कृषि, राजस्व, सहकारिता, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, वेयर हाउस, पंचायत, उपाजर्ज केन्द्र प्रबंधक, ऑपरैटर, सर्वेयर एवं उपाजर्ज समिति के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

क्रेटा कार से 1.75 लाख की देशी शराब जब्त, 1 गिरफ्तार



नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 मार्च। अवैध विक्रय के लिए ले जाई जा रही 35 पेट्री देशी शराब से भरी क्रेटा कार को अंबाह पुलिस ने सोमवार को रात को जब्त कर लिया। पुलिस ने कार में सवार एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब का

अंबाह पुलिस ने सोमवार की रात की कारवाई

पाँट लगाकर करौली माता रोड बायपास से क्रेटा कार क्रं. एमपी07-सीजे-8364 को पकड़ा। कार में देशी शराब की 35 पेटियाँ भरी हुई मिलीं। पुलिस ने

शराब सहित कार को जब्त कर ड्राइवर राजकुमार उर्फ दददू तोमर पुत्र अशोक सिंह तोमर नि. शाहपुरा पोरसा को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब का बाजारू मूल्य 1 लाख 75 हजार रूपये आंका गया है। जाणकारी के अनुसार मुखबिर ने अंबाह थाना प्रभारी को सूचना दी कि खाद का पुरा से एक लकड़ी कार में शराब की खेप पोरसा की ओर ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने चैक

भगव शौर्य जागरण यात्रा कल निकलेगी

मुरैना, 24 मार्च। सनातन महासभा युवा सेना के तत्वावधान में 26 मार्च को शहर में विशाल भगवा शौर्य जागरण यात्रा एवं भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत कलश एवं शोभायात्रा दोपहर 1 बजे टैलीफोन बाबा हनुमान मंदिर से शुरू होकर रामजानकी मंदिर जीवाजी गंज तक निकाली जाएगी। यात्रा में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी नागरिक, मातृशक्ति एवं युवा दर्श सहभागिता करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 4 बजे से टाउन हॉल में किया जाएगा, जिसमें भजन-कीर्तन एवं धार्मिक प्रस्तुतियाँ होंगी। साथ ही भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 5 बजे से इसी जगह होगा।

समीक्षा बैठक 28 मार्च को
मुरैना। कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक 28 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में आयोजित की जाएगी। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे।

चंबल के प्रेरणास्त्रोत हैं आईपीएस मनोज शर्मा जैसे युवा : राजू भाई

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 24 मार्च। बागी समस्या एवं हिंसा के लिए अभिशास माने जाने वाले चंबल क्षेत्र में अब शांति प्रक्रिया की बहाली के बाद यहाँ के नौजवान व्यापार एवं प्रशासनिक क्षेत्र में अंचल का नाम रोशन कर रहे हैं। बिलगंवा की माटी में पले मनोज शर्मा जैसे नौजवान देश में एक जिम्मेदार आईपीएस को भूमिका सम्पन्नतापूर्वक निभा रहे हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारी देशभर में अंचल का नाम रोशन कर रहे हैं।



यह अंचल के लिए गर्व की बात है। यह बात गांधीवादी विचारक एवं एकता परिषद जन संगठन के संरक्षक पीवी राजगोपाल ने कही। वे जौरा स्थित सांदीपनि स्कूल में

बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राजगोपाल ने विद्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में प्राचार्य एवं स्टाफ से चर्चा की। ऑडिटोरियम में ही एक संक्षिप्त बैठक में पीवी राजगोपाल ने कहा कि चंबल में बंदूक की हिंसा खत्म हो गई है। लेकिन अन्य प्रकार की हिंसा एवं गैर बराबरी अभी भी व्याप्त हैं। हम सबको मिलकर चंबल क्षेत्र से सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना है। बैठक का समापन पीवी राजगोपाल द्वारा प्रस्तुत भजन के साथ किया गया।

आम सूचना

श्री सुरेश सिंह जाटव पुत्र श्री सुरेशलाल जाटव के स्वतः, स्वामित्व व आधिपत्य की अवलम्बित भूखण्ड क्र.05, स्थित ग्राम टिठोनीया, प.ड.नं.-18, रा.नि.मं.02 केलास, तहसील केलास एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र. 1174/11 ग्राम टिठोनीया का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1104 वर्गफुट है और वर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में- भूमि बाबू जाटव, पश्चिम में- भूमि हरि सिंह जाटव, उत्तर में- भूमि मनोराम कुमार एवं दक्षिण में रास्ता है। उक्त सम्पत्ति एवं संयुक्त अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री गणपति, श्री भारतीलाल एवं श्री रामजीलाल पुत्रगण श्री गणपति एवं अन्य के संयुक्त स्वतः स्वामित्व की थी। श्री भारी जाटव द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री सुरेश सिंह जाटव पुत्र श्री सुरेशलाल जाटव को ई-रजिस्टर्ड क्रिय विलेख क्र. एम्पी25802023य12392470 दिनांक 21.09.2023 से क्रिय की गई। श्री सुरेश सिंह जाटव द्वारा उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान आदित्य विडला हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दरवाजे सहित भरे कार्यालय में अथवा भरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दरवाजे इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगैर उक्त सम्पत्ति को भरे पक्षकार वितीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बैंक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय पर उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति